न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 24/2015

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. मांगीलाल पुत्र हेमाराम जाति गुर्जर निवासी रामनगर II, ब्यावर तहसील ब्यावर		1. शोभाराम पुत्र चौलाराम 2. ओमाराम पुत्र पुखाराम 3. गणुदेवी पुत्री पुखाराम 4. शांति बेवा पुखाराम 5. नेमाराम पुत्र गणेशराम 6. हापुड़ी बेवा गणेशराम जातिगण जाट निवासीगण कोटड़िया तहसील जैतारण 7. परमा पुत्री गणेशराम पत्नी बाबुराम जाति जाट निवासी जजासनी तहसील मेडता सिटी 8. मनुदेवी पुत्री गणेशराम पत्नी स्वरूपराम जाति जाट निवासी दासास तहसील मेड़तासिटी 9. पुनाराम पुत्र चौलाराम 10. सुगनाई पत्नी पुनाराम जातिगण जाट निवासीगण कोटड़िया 11. हीराराम पुत्र चौलाराम जाति जाट निवासी कोटड़िया 12. शांतिलाल पुत्र रतनलाल कटारिया जाति जैन निवासी डिगी मोहल्ला, ब्यावर 13. भैरूलाल पुत्र हेमाराम जाति गुर्जर निवासी रामनगर II, ब्यावर 14. सुरेश शर्मा पुत्र शिवजी शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी 4/16 सुन्दर नगर, ब्यावर 15. दिनेश आहुजा पुत्र घनश्याम आहुजा, जाति पंजाबी सिंधी निवासी कॉलेज रोड़, ब्यावर 16. प्रभुराम पुत्र रूपाराम 17. बादरराम पुत्र रूपाराम जातिगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

गुर्जर निवासीगण माकड़वाली गुर्जरों की ढाणी, बर तहसील रायपुर जिला पाली

18. नरेन्द्र कुमार माछर पुत्र राधेश्याम माछर जाति माहेश्वरी निवासी नृसिंह गली, ब्यावर
19. उप पंजीयन अधिकारी, पंजीयन कार्यालय जैतारण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री मोहम्मद शरीफ काज़ी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 26-11-18

———0———

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 183/2012 शोभाराम बनाम नेमाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 21.09.2012 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कोटड़िया के खसरा नम्बर 4/6 व 4/7 की भूमि चौलाराम जी द्वारा कर्ता खानदान की हैसियत से संयुक्त हिन्दू परिवार की पूंजी से अपने पुत्र पुनाराम व गणेशराम के नाम से दिनांक 22.08.1985 को क्रय की है। उक्त भूमि मात्र राजस्व रेकर्ड में पुनाराम व गणेशराम के नाम से खातेदारी दर्ज थी, जबकि उक्त भूमि पर चोलाराम के समस्त वारिशान का बहिस्सा बराबर हक हिस्सा निहित है तथा उसी अनुरूप वे मौके पर काबिज काश्त होना बताते हुए राजस्व रेकर्ड में चोलाराम के वारिशान की हैसियत से उक्त विवादित आराजी को संयुक्त हिन्दू परिवार की पूंजी से क्रय करना बताते हुए अपने हिस्से की खातेदारी घोषित कराने का वाद प्रस्तुत किया तथा वाद के साथ अपीलाण्ट एवं अन्य रेस्पोडेन्ट्स को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए प्रतिवादीगण को जरिये अन्तरिम व्यादेश से पाबन्द किया, जबकि जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट की खरीदसुदा भूमि है। इसके

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

पश्चात अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 4 के प्रार्थना पत्र मय अन्तरिम व्यादेश को खारिज़ कराने का निवेदन किया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से उक्त अन्तरिम व्यादेश को किसी भी रूप में खारिज़ नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व न तो रेकर्ड का अवलोकन किया एवं न ही दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण किया, विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील आदेश पारित कर एक रेकर्डेड खातेदार को उसके अधिकारों के प्रयोग से वंचित किया है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी चोलाराम द्वारा क्रय की गई थी, जिसकी रजिस्ट्री तीन भाईयों के नाम करवाई गई, क्योंकि वक्त रजिस्ट्री दो भाई बाहर गए हुए थे, इस कारण रजिस्ट्री में उनका नाम दर्ज नहीं करवाया जा सका। इस कारण जैर अपील विवादित आराजी में रेस्पोडेन्ट्स का हक हिस्सा निहित है तथा उसी हिस्से अनुसार वे मौके पर काबिज काश्त है। उक्त आराजी के सम्बन्ध में हमारा पारिवारिक बंटवाडा दिनांक 05.09.1986 को निष्पादित किया गया था, जिसमें चोलाराम के समस्त वारिशान का जैर अपील विवादित आराजी में 1/5 – 1/5 हक हिस्सा सभी भाईयों में बांटा गया था। इसी अनुसार शोभाराम अपने 1/5वें हिस्से पर काबिज काश्त है। उक्त भूमि का विधि विरूद्ध रूप से बेचान करने की कोशिश करने पर रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया तथा वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। जैर अपील विवादित आराजी में रेस्पोडेन्ट का हक हिस्सा निहित है अथवा नहीं ? इस तथ्य का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्यों के परीक्षण के पश्चात ही होगा, किन्तु इस दरम्यान यदि उक्त भूमि का बेचान हस्तान्तरण होता है तथा रेकर्ड एवं मौके की भौतिक प्रस्थिति में परिवर्तन होता है, तो निश्चय ही वाद बाहुल्यता होगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायलाय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 4 द्वारा वाद प्रस्तुत कर जैर अपील विवादित आराजी में अपने हिस्से की घोषणा का अनुतोष चाहा तथा दौराने वाद राजस्व रेकर्ड एवं मौके की स्थिति में होने वाले परिवर्तन से रोकने हेतु अपीलाण्ट एवं अन्य रेस्पोडेन्ट्स को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश के जरिये प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम व्यादेश के पाबन्द किया है। हस्तगत अपील अन्तरिम व्यादेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित करने के सम्बन्ध में जो प्रावधान दिए गए है, उनमें मुख्य रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

से 4 मुख्य है, जहां तक आदेश 39 नियम 03 सीपीसी का प्रश्न है, इस संबध में आदेश 39 नियम 3 सीपीसी का उद्धरण इस प्रकार है– *आदेश 39 नियम 3 –*

3. Before granting injuction, Court to direct notice to opposite party-

The Court shall in all cases except where it appears that the object of granting the injunction would be defeated by the delay, before granting an injunction direct notice of the application for the same to given to the opposite party.

(Provided that, where it is proposed to grant an injunction without giving notice of the application to the opposite party, the court shall record the reasons for its opinion that the object of granting the injunction would be defeated by dealy, and require the applicant-

(A) to deliver to the opposite party, or to send to him by registered post, immediately after the order granting the injunction has been made, a copy of the application for injunction together with-

1. a copy of the affidavit filed in support of the application.
2. a copy of the plaint and
3. copies of doucments on which the applicant relies, and

¼b½ to file, on the day on which such in such injunction is granted or on the day immediately following that day, and affidavit stating that the copies aforesaid have been so delivered sent.)

आदेश 39 नियम 3 (क) सी0पी0सी0 में प्रावधित किया है कि "3-A. Court to disposed application for injunction within thirty days -- Where an injunction has been granted without giving notice to the opposite party, the Court shall make an endeavour to finally dispose of the application within thirty days from the date on which injunction was granted; and where it is unable so to do, it shall record the reasons its reasons for such inability" इस प्रकार यह स्पष्ट है कि, जहॉ अस्थाई निषेधाज्ञा विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना जारी की गई तो न्यायालय को 30 दिन के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो असमर्थता के कारणो को अभिलिखित करना चहिए। उपरोक्त कानून के सन्दर्भ में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के दिवस ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय सुनवाई करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है। विधि अनुसार जहां एक पक्षीय रूप से अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया जाता है, वहां उस प्रकरण का निस्तारण 30 दिवस के भीतर किये जाने के प्रावधान है। चूंकि जैर अपील आदेश अन्तरिम आदेश है, जिसके विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज़ की जाती है। चूंकि प्रकरण में निहित कानूनी बिन्दुओं की पालना करवाई जानी आवश्यक है, तद्नुसार उपखण्ड अधिकारी जेतारण को आदेश दिया जाता है कि आपके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 183/2012 में पारित आदेश दिनांक 21.09.2012 के सम्बन्ध में पक्षकारान्

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

को सुनकर विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए 30 दिवस के भीतर निर्णय पारित करे। इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली